पूरी बेशर्मी पर उतर आये हैं खट्टर जी

फ़रीदाबाद (म.मो.) खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ़ महिला खिलाड़ी एवं जूनियर कोच की शिकायत पर जहां चंडीगढ़ पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करके शिकायतकर्ता को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके धारा 164 के बयान भी दर्ज करा दिये हैं। वहीं दूसरी ओर खट्टर जी पूरी बेशर्मी के साथ पीड़िता के बयान एवं आरोपों को अनगरल बता रहे हैं। उनका यह भी कहना है कि आरोप लगाने से कोई दोषी थोड़े ही बन जाता है। अपने आरोपित मंत्री को बचाने तथा पीड़िता को झूठा साबित करने के लिये खट्टर ने गैरकानूनी तौर पर अलग से एसआईटी गठित कर दी है। इसकी मुखिया रोहतक रेंज की एडीजीपी ममता सिंह को बनाया है।

कानून की थोड़ी-बहुत समझ रखने वाले बखूबी जानते हैं कि खट्टर द्वारा बनाई गई इस स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम के पास जांच करने का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि मामला हरियाणा पुलिस के क्षेत्राधिकार के बाहर चंडीगढ पुलिस के क्षेत्राधिकार में है। इसलिये इसकी तफ्तीश करने का अधिकार केवल उसी पुलिस को है। यद्यपि चंडीगढ पुलिस तफ्तीश करती हुई नजर तो आ रही है लेकिन उसकी कार्यशैली ऐसी है जैसे कि पीड़िता ही मुल्जिम हो। शिकायतकर्ता को ही आठ-आठ घंटे तक थाने में बैठाया जाता है, उन्हीं का मोबाइल फोन जब्त किया जाता है और फ़िर कोर्ट में भी उन्हें ऐसा आभास कराया जाता है जैसे कि वहीं, मुल्जिम हों। दूसरी ओर दोषी मंत्री को न तो अभी तक थाने बुलाया गया ओर न ही उसका मोबाइल जब्त किया गया जबकि कानूनन मंत्री को अब तक हवालात में बंद करके मैजिस्ट्रेट के सामने बतौर मुल्जिम पेश कर दिया जाना चाहिये था।

बेशक खट्टर ने अपने खिलाड़ी मंत्री को बचाने के लिये अवैध रूप से एसआईटी गठित कर दी है लेकिन शिकायतकर्ता ने तमाम दबावों के बावजूद उस एसआईटी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया है। दूसरी ओर शिकायतकर्ता चंडीगढ पुलिस के साथ पूरा सहयोग करती हुई उनके साथ मंत्री की कोठी पर मौका मुआयना तथा सीन रीक्रीयेट कराने अपने वकील के साथ पहुंची।

खट्टर के 'अनमोल' बोल केवल मंत्री संदीप के लिये ही क्यों, सारी जनता के लिये क्यों नहीं ?

करनाल (शांडिल्य) तमाम कानून-कायदों को ताक पर रखते हुए जिस बेशर्मी से, राजस्थान के पत्रकारों के सामने खट्टर ने कानून को परिभाषित किया है उसका स्वागत तो तमाम आपराधिक प्रवृति के लोग करेंगे ही। उनकी परिभाषा के अनुसार तो पुलिस को किसी भी महिला की शिकायत पर, किसी भी आरोपित के खिलाफ़ बलात्कार, छेड़छाड़, अपहरण आदि का मुकदमा दर्ज ही नहीं करना चाहिये। शिकायत मिलने पर एफआईआर दर्ज करने व आरोपित को गिरफ्तार करने की अपेक्षा शिकायतकर्ता महिला को ही चक्कर कटाने चाहिएं और उसी से तमाम सबूत एकत्र कराने चाहियें।

सवाल यह भी बनता है कि खट्टर ने कानून की जो परिभाषा संदीप के इस मामले में दी है क्या यह केवल इसी मामले के लिये है अथवा पूरे राज्य की जनता पर भी लागू होगी ? यदि खट्टर जी ऐसा कर दें तो तमाम अपराधी प्रवृति वालों की बल्ले-बल्ले हो जायेगी। फिर तो वे पूरी तरह से बेखौफ़ होकर खुला खेल फरूखाबादी खेलेंगे। इससे बेटी बचाओ, बेटी पढाओ का नारा देने वाली भाजपा सरकार की पोल भले ही खुल जाये परन्तु लोफरगिरी करने वाले तमाम लफंटर तो मोदी के परमानेंट वोट बैंक बन ही जायेंगे।

वैसे यदि खट्टर जी चाहें तो अपने मंत्रियों विधायकों एवं लगुओं-भगुओं के लिये एक कानून बनाकर उन्हें विशेषाधिकार भी प्रदान कर सकते हैं जिसके अनुसार उन पर कोई भी आपराधिक धारा लागू ही नहीं हो सकेगी।

जनता ने उन्हें पांच साल के लिये चुन कर विधानसभा में जब हर तरह का कानून बनाने का अधिकार दे रखा है तो ऐसा कानून भी उन्हें बनाने से भला कौन रोक सकता है ? फ़िर उन्हें किसी को बचाने के लिये गैरकानूनी एसआईटी गठित करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

वन विभाग की लापरवाही के कारण लोगों को जान-माल का खतरा

फरीदाबाद। सेक्टर 55 फरीदाबाद जो गुड़गांव कैनाल के साथ-साथ बसा हुआ है यहां वन विभाग द्वारा पिछले 50 वर्षों पूर्व लगाए गए सफेदे के पेड़ खतरनाक हालत में पहुंच चुके हैं। जो कभी भी आंधी में टूट कर गिर जाते हैं। इससे आसपास के मकानों और सरकारी स्कूल की चारदीवारी कई बार क्षतिग्रस्त हो चुकी है। इन पेड़ों के नीचे बहुत सी जंगली झाड़ियां हैं। जहां कुछ नशेड़ी और बदमाश चोर-उचक्के दिन भर छुपे रहते हैं और सेक्टर में आए दिन चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। इन पेड़ों को हटवा कर यहां वन विभाग अपनी पौधशाला नर्सरी का निर्माण करें।

जिससे साफ-सफाई भी रहेगी और सेक्टर वासियों के ऊपर से अपराधियों का हरदम मंडराने वाला खतरा भी दूर हो जाएगा। एक जनवरी को सुबह नहर की पटरी और हाउसिंग बोर्ड के मकान नंबर 2205 के ठीक पीछे लूटपाट के लिए चाकू गोदकर हत्या किए जाने से एक डेड बॉडी भी मिली है। आए दिन लूटपाट की छोटी-बड़ी वारदातें यहां सरेआम प्रतिदिन होती रहती हैं।

आसपास चारों ओर इंडस्ट्री एरिया होने के कारण छोटा व गरीब तबका, मजदूर और श्रमिक वर्ग के लोगों का रात-दिन आना-जाना इस रास्ते से रहता है। चोर, उचक्के, नशेबाज, झपटमार अपराधी किस्म के लोग आए दिन इन गरीब लोगों के साथ लूटपाट करके नहर की इस पगडंडियों के साथ झाड़ियों की ओर सुरक्षित स्थानों में अड्डे बनाकर गायब हो जाते हैं। इसलिए यहां पर झाड़ियों को हटवा कर तुरंत पौधशाला का विस्तार किया जाए और साथ ही साथ यहां पर रात्रि समय में स्ट्रीट लाइटों की व्यवस्था भी करवाई जाए। इसके लिए जिला वन अधिकारी फरीदाबाद राजकुमार यादव जी से पहले भी कई बार निवेदन किया जा चुका है कि, सेक्टर 55 की समस्याओं पर विशेष ध्यान दें।

बालाजी महाविद्यालय में विश्व जल परिषद का भारतीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया

फरीदाबाद। भारतीय जल शिक्षा एवं शोध संस्थान, फरीदाबाद के अध्यक्ष एवम विश्व जल परिषद, फ्रांस के सदस्य डॉ जगदीश चौधरी की अध्यक्षता में जल नेतृत्व कार्यक्रम के पाठ्यक्रम निर्धारण कार्य को अंतिम रूप दिया गया । डॉ चौधरी ने बताया कि भारतीय जल शिक्षा एवं शोध संस्थान, फरीदाबाद पूरे भारतवर्ष सहित पूरी दुनिया का अपने जैसा पहला जल शिक्षण केंद्र है। इसमें सर्वप्रथम पूरे भारतवर्ष और फिर संसार में सभी स्तर ग्राम, वार्ड, तहसील, जिला, संभाग, राज्य, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सभी दिशाओं के लिए जल नेतृत्व तैयार किया जाएगा जो अपने क्षेत्र में जल समस्या संबंधी सभी कार्यों का न केवल निपटान करेंगे अपितु उनको पुनः गौरवशाली स्थिति में लेकर जाएंगे ।

दो जनवरी के कार्यक्रम में एनसीईआरटी दिल्ली से प्रोफेसर प्रमोद दुबे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह, प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक एवं पर्यावरण जल विशेषज्ञ टी के रॉय , राष्ट्रीय पर्यावरण सुरक्षा समिति के अध्यक्ष ज्ञानेंद्र रावत सहित पाठ्यक्रम समिति के सदस्य चंद्रप्रकाश, चेतन प्रकाश ने भी हिस्सा लिया।

प्रमोद दुबे ने मुख्य रूप से भारतीय जल विज्ञान एवं परंपरा को केंद्रित किया जिससे भारत जल के क्षेत्र में पूरे विश्व का नेतृत्व कर सके। वही प्रोफेसर अनिल कुमार सिंह ने सभी स्तर पर एक जल प्रशासनिक ढांचा और राज्य एवं विभागीय स्तर पर एक समर्पित एवं सक्षम जल विशेषज्ञों को गठित करने और पाठ्यक्रम में सिद्धांत एवं प्रायोगिक का संतुलन को बनाने की दिशा में मार्गदर्शन दिया।

भारतीय जल शिक्षा एवं शोध संस्थान के निदेशक संजय गुप्ता ने भारत के विषय विशेषज्ञों के जिम्मेदारी निर्धारण एवं सरकारी मंत्रालय की स्थिति को स्पष्ट किया। शिक्षण संस्थान की वैश्विक मेहता को स्पष्ट कर सभी का धन्यवाद ज्ञापन किया।

ज्ञातव्य हो कि यह जल शिक्षा संस्थान फरीदाबाद में बालाजी कॉलेज केंपस से संचालित किया जा रहा है जिससे जल की वैश्विक समस्या का निदान एवं जल समाधान का शिक्षण, प्रशिक्षण एवं शोध कार्य शुरू हुआ है ।

अंग्रेजों के जमाने के एसजीपीसी एक्ट में संशोधन हो : झिंडा

करनाल। हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रवंधक के पूर्व प्रधान जगदीश सिंह झिंडा ने कहा है कि अंग्रेजों के जमाने के बने सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के एक्ट में संसोधन होना चाहिए। इस मांग को लेकर उन्होंने अकाल तख्त के जत्थेदारों तथा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान तथा समिति को पत्र दिया हैं। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों को सरकार सरकारी नियंत्रण से मुक्ति दे। इसके अलावा उन्होंने चार साहब जादों के शहादत दिवस को बीर बाल दिवस मनाने के केंद्र सरकार के निर्णय पर आपत्ति जताते हुए कहा कि सरकार को चार साहेबजादों का शहादत दिवस मनाने में क्या आपत्ति हैं। वह डेरा कार सेवा करनाल में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। राजनैतिक दल धार्मिक स्थलों पर कब्जा करने के लिए साजिश रच रहे हैं। केंद्र में भाजपा सरकार इससे अछूती नहीं हैं।

उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों से एक कदम आगे भाजपा चल रही हैं। भजपा अपने लोगों को गुरद्वारों के प्रबंधन में शामिल करवा कर पिछले दरबाजे से कब्जा करना चाह रही हैं। उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के 41 सदस्यों की सूची अकाल तख्त और शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास स्वीकृति के लिए भेजी हैं। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पत्र के माध्यम से एसजीपीसी सं मांग की है कि वह केंद्रीय गंह मंत्री को पत्र लिख कर उनसे शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अधिनियम में संशोधन करने की मांग करे। नए प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करे। एसजीपीसी की बैठक की अध्यक्षता डीसी की बजाए कमेटी का प्रधान करे।

हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान पद पर महंत कर्मजीत सिंह के चयन का विरोध नहीं किया। सरकार द्वारा गठित कमेटी में प्रथम गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के लिए संघर्ष करने वाले चार सदस्य ही हैं। उन्होंने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया हैं। एक सवाल के जबाब में उन्होंने धार्मिक स्थलों तीर्थ स्थानों को पर्यटन स्थल बनाने के सरकार के निर्णय का विरोध किया। हरियाणा का सिख समुदाय सम्मेद शिखर के मुद्दे पर जैन समाज के साथ हैं। उन्होंने अपनी तथा अपने समर्थकों की तरफ से जैन समाज द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का समर्थन किया।

एक सवाल के जबाब में बताया कि मुख्यमंत्री ने एचएसजीपीसी एक्ट में कमेटी पर संरक्षक बनाए जाने का विरोध किया। उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों का सरपरस्त केवल एक ही श्री गुरुग्रंथ साहेब ही हैं। जब खालसा पंथ की स्थापना हुई थी तभी से हमारा सरपरस्त श्री गुरुग्रंथ साहेब ही हैं। सरकार सिखों की आसथको ठेस पहुंचा रही है। इस अवसर पर उनके साथ जोगेन्दर सिंह, जसबीर सिंह,शुभेख सिंह, तथा आलमतजीत सिंह ने भी जानकारी दी।